

आदेश द्वारा श्री माथेश्वरन व्ही., "भा0व0से0" मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक : 26/11/2024

क्रमांक/स्था.ले./2024/172 /वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्र./स्था.ले./2710 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ अन्तर्गत पदस्थ श्री बनवारी सिंह, उपवनक्षेत्रपाल (एस.सी.एफ.ओ.) के विरुद्ध थाना जनकपुर में अपराध क्र. 228/2024 धारा 70 (2), 49, 351 (2) बी.एन.एस. एवं 6.17 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध होने पर आरोपी श्री बनवारी सिंह, उपवनक्षेत्रपाल (एस.सी.एफ.ओ.) को दिनांक 26.11.2024 को पुलिस थाना जनकपुर के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में लेने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 1(ख) के अंतर्गत अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने के फलस्वरूप श्री बनवारी सिंह, उपवनक्षेत्रपाल, विशेष कर्तव्य, उत्पादन ईकाई जनकपुर, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप श्री बनवारी सिंह, उपवनक्षेत्रपाल (एस.सी.एफ.ओ.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री बनवारी सिंह, उपवनक्षेत्रपाल का मुख्यालय जमानत पर रिहा होने पर कार्यालय वन संरक्षक, वन्यप्राणी, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(माथेश्वरन व्ही.)

मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक : 26/11/2024

पृ.क्र./स्था.लेखा./2024/453

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटलनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, वन्यप्राणी, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्र./स्था.ले./2710 दिनांक 26.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री बनवारी सिंह, (निलंबित) उपवनक्षेत्रपाल, (एस.सी.एफ.ओ.) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-3, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नम्बर-0771.2331385, Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com


क्रमांक/सतर्कता/म.चि.भ./230/2024/1195
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2024

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पत्र क्रमांक/2377/स्था./2024, दिनांक 26.11.2024 के अनुसार श्री अशोक कुशवाहा, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता) एवं श्री कुशल सिंह परिहार, व्याख्याता शा.उ.मा.वि., देवगढ़ के द्वारा अन्य दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिग पीड़िता (छात्रा) के साथ सामूहिक अनैतिक कृत्य किये जाने के कारण आरोपियों के विरुद्ध थाना जनकपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 228/2024, धारा 70 (2), 49, 351 (2) बीएनएस एवं 6,17 पॉस्को एक्ट के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपियों को दिनांक 26.11.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है ।

2/ अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अन्तर्गत आरोपी श्री अशोक कुशवाहा, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता) एवं श्री कुशल सिंह परिहार, व्याख्याता शा.उ.मा.वि., देवगढ़ मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3/ निलम्बन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।


(दिव्या उमेश मिश्रा)
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2024

पृष्ठां.क्र./सतर्कता/म.चि.भ./230/2024/1196
प्रतिलिपि:-

- 1/ सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
- 2/ संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, सरगुजा ।
- 3/ जिला शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ।
- 4/ उप संचालक, स्थापना कक्ष-2 ई संवर्ग (स्थानीय)
- 5/ प्राचार्य, शा.उ.मा.वि., देवगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ।
- 6/ श्री अशोक कुशवाहा, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता) शा.उ.मा.वि., देवगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ।
- 7/ श्री कुशल सिंह परिहार, व्याख्याता शा.उ.मा.वि., देवगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 8/ स्टाक फाईल ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-mail : deo.mcb.cg@gmail.com

Ph. 07771-299099


// आदेश //

मनेन्द्रगढ़ दिनांक.- 26.11.2024

क्रमांक / 2379 / स्थापना / टी संवर्ग / 2024-25 / कार्यालय पुलिस थाना जनकपुर जिला एम.सी.बी. के पत्र क्रमांक / थाना जनकपुर / निरंक / 2024 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रावेन्द्र सिंह कुशवाहा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवगढ़ विकासखण्ड भरतपुर को स्वयं एवं अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिक पीड़िता (छात्रा) के साथ अनैतिक कृत्य किये जाने के विरुद्ध थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 228 / 2024 धारा 70 (2), 49, 351(2) बीएनएस एवं 6,17 पॉस्को एक्ट के आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी शिक्षकों को आज दिनांक 26.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमान्ड में पेश किया जा रहा है।

अतः उक्त कृत्य की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खडगवां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.) नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



26.11.2024
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

पृ.क्र. / 2380 / स्थापना / टी-संवर्ग / 2024-25 /

मनेन्द्रगढ़ दिनांक.- 26.11.2024

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन दनवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला एम.सी.बी. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला एम.सी.बी. को सूचनार्थ।
5. विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर, जिला -मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ कर लेख है कि निलंबित कर्मचारी को आदेश की प्रति तत्काल तामिल करावें एवं पावती अभिस्वीकृती इस कार्यालय को देवें।
6. विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी खडगवां जिला -मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री रावेन्द्र सिंह कुशवाहा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवगढ़ विकासखण्ड भरतपुर को सूचनार्थ।


26.11.2024
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर